

# उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या: /अद्वारह-एसआई(लिपिक)-271-2016

दिनांक: जुलाई 30, 2016

## आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा चयन वर्ष-2014 की शेष बची हुई 20 रिक्तियों के सापेक्ष कुल-19 पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नवत् अंकित है:-

| क्रमांक | पीएनओ     | नाम                        | पिता का नाम             | जन्मतिथि | जनपद/वाहिनी       | परिक्षेत्र/अनुभाग   | चयन का वर्ष |
|---------|-----------|----------------------------|-------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1       | 970940027 | मुकेश कुमार शर्मा          | भगवती प्रसाद शर्मा      | 15-01-70 | TRG HQ            | —                   | 2014        |
| 2       | 971030046 | कमल किशोर सकसेना           | स्व0राम कुमार सकसेना    | 10-01-67 | F.S. HQ LKW       | —                   | 2014        |
| 3       | 970250027 | ज्ञानेश कुमार सिंह         | स्व0 लाखन सिंह          | 01-01-64 | PAC SECTOR MDD    | —                   | 2014        |
| 4       | 970020060 | मोहन चन्द्र भट्ट           | स्व0 त्रिलोचन भट्ट      | 28-06-69 | TRAFFIC HQ LKW    | —                   | 2014        |
| 5       | 970020549 | ओम प्रकाश                  | कन्हैया लाल             | 02-07-65 | PHQ ALD           | —                   | 2014        |
| 6       | 970020129 | गणेश सिंह बोरा             | गोविन्द सिंह बोरा       | 23-12-59 | DGP HQ LKW        | —                   | 2014        |
| 7       | 970210001 | सुनील कुमार सकसेना         | भोला सहाय सकसेना        | 12-11-66 | DSP TRG LKW RANGE | —                   | 2014        |
| 8       | 970020099 | सुरेन्द्र पाल              | सुखवीर सिंह             | 13-07-69 | PHQ ALD           | —                   | 2014        |
| 9       | 970170013 | विनय कुमार उपाध्याय        | गिरजा शंकर उपाध्याय     | 19-03-64 | BSI RANGE         | —                   | 2014        |
| 10      | 970020073 | अजित बिहारी                | राम आसरे                | 15-09-64 | PHQ ALD           | —                   | 2014        |
| 11      | 972630016 | सन्त भान सिंह              | स्व0 चन्द्र भान सिंह    | 01-01-62 | 25 BN             | लखनऊ अनुभाग         | 2014        |
| 12      | 820027384 | दीपक कुमार भार्गव          | श्री बैकुण्ठ नाथ भार्गव | 20-01-57 | PAC HQ LKW        | —                   | 2014        |
| 13      | 970020145 | सूरज राम यादव              | रतीपाल सिंह यादव        | 06-03-67 | DGP HQ LKW        | —                   | 2014        |
| 14      | 972370066 | सीताराम कुशवाहा            | स्व0 मुरली कुशवाहा      | 01-12-60 | 4 BN              | कानपुर अनुभाग       | 2014        |
| 15      | 975011777 | श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा | कोलेश्वर प्रसाद         | 01-06-64 | RBI               | लखनऊ परिक्षेत्र     | 2014        |
| 16      | 970060019 | रामवीर सिंह भास्कर         | अर्जुन सिंह             | 01-07-68 | PHQ ALD           | —                   | 2014        |
| 17      | 972270698 | अनिल कुमार सिंह            | उदय प्रताप सिंह         | 08-09-64 | KSI               | इलाहाबाद परिक्षेत्र | 2014        |
| 18      | 820020019 | रवीन्द्र मोहन सिंह         | बृजमोहन सिंह            | 14-07-62 | SPL INQ HQ        | —                   | 2014        |
| 19      | 970020057 | मानिक चन्द्र               | राम प्रताप यादव         | 01-01-61 | PHQ ALD           | —                   | 2014        |

2. पदोन्नति पाये उपरोक्त समस्त पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) गण अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार राक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मियों नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये पुलिस उप

निरीक्षक (लिपिक) गणों की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उप निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक) के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रोन्नति सूची  
एवं प्रारूप (क)

  
( ए०के० शुक्ल )  
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3. पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ०प्र० लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
7. निदेशक, पुलिस यातायात निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, मुरादाबाद अनुभाग, मुरादाबाद।
9. पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र बस्ती/लखनऊ।
10. पुलिस उपमहानिरीक्षक, विशेष जाँच मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
11. पुलिस अधीक्षक, जनपद रायबरेली/कौशाम्बी।
12. सेनानायक, चतुर्थ/25वीं वाहिनी पीएसी, इलाहाबाद/रायबरेली।

संख्या तथा दिनांक वही।

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:-
- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ०प्र० लखनऊ।
  - 2- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि:-

1. अनुभाग अधिकारी अनुभाग-9, 12/ए, 18, 18/ए पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इस आशय से वे कृपया अपने अनुभाग में नियुक्त उक्त कर्मियों के प्रोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सर्वसम्बन्धित को अवगत करायें।
2. अनुभाग अधिकारी-20, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को शासकीय गजट के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के हेतु।

( ए०के० शुक्ल )  
पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश।